रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032023-244418
CG-DL-E-15032023-244418

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1186] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2023/फाल्गुन 24, 1944
No. 1186] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2023/PHALGUNA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2023

का.आ. 1234(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्धमान जिले में NH19 के कि.मी. 521.251 से कि.मी. 603.94 (पानागढ़-पालजसत खंड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जडजस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट, पूर्व बर्धमान को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्ब बर्धमान जिले में NH19 के कि.मी. 521.251 से कि.मी. 603.94 (पानागढ़ - पालजसत खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पश्चिम बंगाल		जिले का नाम: पूर्ब बर्धमान			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बर्धमान - I					
गांव का नाम: गोदा (P) (CT)					
1	615	निजी	शाली	0.0260000(एकर)	0.0105221
2	616	निजी	शाली	0.0420000(एकर)	0.0169972
3	617	निजी	शाली	0.0040000(एकर)	0.0016188
गांव का नाम: नबभात					
1	448	निजी	शाली	0.0390000(एकर)	0.0157831
2	449	निजी	शाली	0.0080000(एकर)	0.0032376
3	465	निजी	शाली	0.0840000(एकर)	0.0339943
तालुक का नाम: बर्दवान - II					
गांव का नाम: अलीशा					
1	84	निजी	शाली	0.0170000(एकर)	0.0068798
2	86	निजी	शाली	0.0770000(एकर)	0.0311615
3	87	निजी	शाली	0.0260000(एकर)	0.0105221
			कुल	**0.3230**	**0.1307**

[फा. सं. NHAI/PIU-DURGAPUR/NH-19/3A]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2023

S.O. 1234(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/six laning etc), maintenance, management and operation of NH19 in the stretch of land from Km. 521.251 to Km. 603.94 (Panagarh-Palsit section) in the district of PURBA BARDHAMAN in the state of WEST BENGAL, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Magistrate Purba Bardhaman in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from Km. 521.120 to Km. 603.94 of NH19 (Panagarh-Palsit section) in the district of PURBA BARDHAMAN in the state of WEST BENGAL.

State: WEST BENGAL	**District: PURBA BARDHAMAN**				
Sl.No.	**Survey / Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectare)**
Taluk: Bardhaman - I					
Village: Goda (P) (CT)					
1	615	Private	Shali	0.0260000(Acre)	0.0105221
2	616	Private	Shali	0.0420000(Acre)	0.0169972
3	617	Private	Shali	0.0040000(Acre)	0.0016188
Village: Nababhat					
1	448	Private	Shali	0.0390000(Acre)	0.0157831
2	449	Private	Shali	0.0080000(Acre)	0.0032376
3	465	Private	Shali	0.0840000(Acre)	0.0339943
Taluk: Burdwan - II					
Village: Alisha					
1	84	Private	Shali	0.0170000(Acre)	0.0068798
2	86	Private	Shali	0.0770000(Acre)	0.0311615
3	87	Private	Shali	0.0260000(Acre)	0.0105221
			Total	**0.3230**	**0.1307**

[F. No. NHAI/PIU-DURGAPUR/NH-19/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.03.15 22:17:50 +05'30'